

श्र. 71

11/01/24

# गणपत बनाम जगदीश

2024/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

20/11/24

फत्रावली पेशा गार्धी एवं गार्धी अधिवक्ता अनुपस्थित। बाट-बाट अवकाश लगाने पर भी धाजित नहीं। रतने यह स्पष्ट है कि गार्धी एवं गार्धी अधिवक्ता 10 पत्र 25। 11 की उपधारा (1) को अज्ञात करने के बच्छुक्त नहीं हैं।

अतः उक्त 10

पत्र अधिम धाजनी - अधिम पैटवी में खारिज किया जा रहा है।

नम्बर से कम होकर हाथिल

स्पष्ट है

फत्रावली हजी

उपखण्ड अधिकारी  
बस्ती जिला-जयपुर